HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6846/2025

Prakash Kumar Meena S/o Kaluram Meena, R/o Mangla Ki Dhani, Kanota, Jaipur City (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. The Director General Of Police, Rajasthan.
3. The Commissioner Of Police, Police Commissionerate, Govt. Hostel, M.i. Road, Jaipur.
4. The Deputy Commissioner Of Police, Jaipur (East).
5. The Station House Officer, Police Station Kanota, District Jaipur City (East).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta, Adv. Mr. Rahul Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. M S Shekhawat, PP Ms. Ranjeeta Sharma, DCP(East) through VC. Mr. Munindra Singh, IO SHO, Kanota.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

29/04/2026

पुलिस थाना कानोता, जयपुर शहर पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 788/2025 में निष्पक्ष अनुसंधान हेतु मृतक के पुत्र परिवादी द्वारा यह आपराधिक विविध याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत की गयी है जिस पर विद्वान अधिवक्ता याची–परिवादी तथा विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट को अभिलेख पर रखा जाता है।

समकक्ष पीठ द्वारा दिये गये आदेश की पालना में अनुसंधान अधिकारी व्यक्तिशः तथा संबंधित पुलिस उपायुक्त जरिए वी0सी0 से उपस्थित है, जिनके द्वारा न्यायालय द्वारा चाही गयी सूचनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया।

परिवादी प्रकाश द्वारा वर्तमान मामले में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है कि दिनांक 24.09.2025 को प्रातः अभियुक्त नरसी मीणा, उसके पिता मृतक कालूराम को डस्ट भरवाने हेतु ट्रेक्टर पर ले गया था, बाद में उसकी घटनास्थल पर मृत अवस्था में पाये जाने की सूचना मिली, अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, उसे शक है कि उसके पिता की नरसी मीणा व उसके अज्ञात साथियों द्वारा मारपीट कर हत्या कारित की गयी है।

इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रांरभ किया गया तथा पुलिस द्वारा संकलित सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया कि मृतक कालूराम तथा अभियुक्त नरसी मीणा डस्ट के परिवहन का काम करते हैं, वापसी के समय जानकार रमेश मीणा व नरसी धोबी मिल गये, चारों द्वारा शराब का सेवन किया गया। तत्पश्चात रमेश मीणा व नरसी धोबी मोटरसाईकिल से चले गये तथा मृतक कालूराम व अभियुक्त नरसीराम मीणा ट्रेक्टर से जाने हेतु रवाना हुए और उस समय मृतक कालूराम नशे की अवस्था में था तथा संभल नहीं पाया तथा अभियुक्त नरसी ने ट्रेक्टर को लापरवाही से अचानक चालू कर दिया। उपरोक्त अभिमत प्रकट करते हुए पुलिस द्वारा यह निष्कर्ष दिया कि यह मामला हत्या का नहीं होकर दुर्घटना का है।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का यह प्रांरभ से ही आरोप रहा है कि पुलिस द्वारा इस मामले में निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया गया है, मृतक शराब का नशा किया हुआ था, इस बाबत पृथक से कोई जांच नहीं करवायी गयी है और इस आधार पर समकक्ष पीठ द्वारा अनुसंधान अधिकारी तथा संबंधित पुलिस उपायुक्त को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया, जिनके द्वारा आज उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाते समय चिकित्सक द्वारा विसरा लिया गया था और जांच हेतु एफएसएल में जांच हेतु विसरा सहित अन्य सामग्री भेजी गयी थी और इसके अलावा अन्य कोई पृथक

से नशे के सेवन के संबंध में कोई जांच नहीं करवायी गयी। विद्वान अधिवक्ता परिवादी का इस संबंध में निवेदन है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद पुलिस उपायुक्त द्वारा मात्र पर्यवेक्षण किया गया है, लेकिन गंभीरता व निष्पक्षता से कोई अनुसंधान इस संबंध में नहीं किया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि मृतक के कारित चोटों की प्रकृति को देखते हुए मामला दुर्घटना का नहीं होकर हत्या का है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Sakiri Vasu Vs. State of U.P. & Ors. AIR 2008 SC 907 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निष्पक्ष अनुसंधान को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय अनुसंधान को मोनिटर करने व आवश्यक निर्देश देने हेतु सक्षम है तथा ऐसे मामलों में सामान्य रूप से धारा 528 बी.एन.एस.एस./482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है तथा ऐसी प्रवृत्ति निरूत्साहित होने योग्य है। इस निर्णय के पैरा संख्या 15 व 25 सुसंगत हैं जो निम्नानुसार है–

> "15. Section 156(3) provides for a check by the Magistrate on the police performing its duties under Chapter XII Cr.P.C. In cases where the Magistrate finds that the police has not done its duty of investigating the case at all, or has not done it satisfactorily, he can issue a direction to the police to do the investigation properly, and can monitor the same.
>
> 25. We have elaborated on the above matter because we often find that when someone has a grievance that his FIR has not been registered at the police station and/or a proper investigation is not being done by the police, he rushes to the High Court to file a writ petition or a petition under Section 482 Cr.P.C. We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily refuse to interfere in such matters, and relegate the petitioner to his alternating remedy, firstly under Section 154(3) and Section 36 Cr.P.C. before the concerned police officers, and if that is of no avail, by approaching the concerned Magistrate under Section 156(3)."

उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि सामान्य रूप से निष्पक्ष अनुसंधान के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष ही उपचार प्राप्त करने का प्रावधान रहा है। चूंकि वर्तमान मामले में समकक्ष पीठ द्वारा पूर्ववर्ती आदेश पारित करते हुए अनुसंधान के संबंध में अनुसंधान अधिकारी तथा संबंधित पुलिस उपायुक्त से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है, अतः उस आदेश के अनुक्रम में स्पष्टीकरण अभिलेख पर लिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि इस मामले में अभी भी अनुसंधान निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ है, अतः बकाया अनुसंधान किसी अन्य अनुसंधान अधिकारी को सोंपे जाने का निवेदन किया, लेकिन पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा मात्र नतीजा पेश किया जाना शेष रहा है। मृतक के नशे के सेवन के संबंध में अब कोई अनुसंधान संभव भी नहीं है, इस बिन्दु पर जो भी अनुसंधान हुआ है वह अभिलेख का भाग है, अतः ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय द्वारा आगामी अनुसंधान किये जाने अथवा अनुसंधान अधिकारी बदले जाने का आदेश दिया जाना उचित नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि मामला दुर्घटना का नहीं होकर हत्या का है, चूंकि अब अनुसंधान हो चुका है और नतीजा पेश होना शेष है, अतः ऐसी स्थिति में विशिष्ट अपराध के संबंध में प्रसंज्ञान लिए जाने की अधिकारिता सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय को है और परिवादी प्रसंज्ञान के समय अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि आदि से परिवादी को सूचित करे ताकि परिवादी उचित प्रक्रम पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सके।

उपरोक्त अभिमत प्रकट करते हुए यह याचिका उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है। स्थगन आवेदन भी इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /8